छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर – 492001

क्रमांक 1129 / एफ–10–1 / 07 / 34 / 01 रायपुर, दिनांक 27 / 07 / 2007

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
रायपुर।

विषयः– लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु ठेकेदारों की पात्रता के मापदण्ड का निर्धारण बाबत्।

—00—

विषयांतर्गत आपके द्वारा दिए गए प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए समस्त नगरीय जलप्रदाय योजनाओं के विभिन्न अवयवों हेतु वांछित अनुभव की शर्त एवं ठेकेदारों की निविदा क्षमता के निर्धारण हेतु पारदर्शिता एवं एकरूपता को ध्यान में रखते हुए निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु ठेकेदारों की निम्नानुसार पात्रता मापदण्ड का निर्धारण किया जाता है:–

1. **पंजीयन :–**

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ में उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन आवश्यक है। विशिष्ट प्रकृति (Specilised nature) के कार्य / कार्यो हेतु संबंधित प्रकृति के विशिष्ट श्रेणी / श्रेणियो मे पंजीयन आवश्यक है।

2. **कार्य का निष्पादन क्षमता**

कार्य निष्पादन क्षमता = AxNx2.0
Where

(A) = पिछले 5 वर्षो में किये गये कार्य की अधिकतम राशि (10 % अधिभार प्रतिवर्ष सहित)

(N) = कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि (वर्षो में)

3. **कार्य का अनुभव :–**

स्वयं के नाम पर अथवा फर्म एवं कंपनी के नाम पर कार्य का कम से कम सामान्यतः 50 प्रतिशत मात्रा का निविदाकार को अनुभव होना चाहिए। निविदा में दर्शित कार्यो की आधी मात्रा के कार्य की गणना का आंकलन निम्नानुसार होगा :–

विगत 5 वर्षो में :–

अ. **इंटकेवल / जेक वेल :–** इस कार्य का अनुभव प्रमाणपत्र सामान्यतः इंटेकवेल / जेकवेल का व्यास दर्शाते हुए दिया जाता है। अतः निविदा में दर्शित इंटेकवेल के आंतरिक व्यास के आधे आंतरिक व्यास के इंटेकवेल के निर्माण का अनुभव।

ब **पंपिंग स्टेशन :–** निविदा मे उल्लेखित हेड एवं डिस्चार्ज के लिए आवश्यक किलोवाट से कम से कम आधी क्षमता के किलोवाट के पंपिंग सेटस का अनुभव। प्रस्तावित पंपिंग सेटस एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए आवश्यक विद्युत सब–स्टेशन की आधी क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र स्थापना का सफलतापूर्वक निर्माण पूर्ण करने का अनुभव।